

1492) शायी की ओर से एक शायीना पत्र पेश
 करने पर आज यह पत्रावली पेशी में
 ली गई। शायी ने शायीना पत्र पेश
 कर वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में
 राजीनामा हो जाने के कारण नोट सेशन
 के अज्ञात पर वाद पत्र खारिज करने
 का निवेदन किया। शायी एवं वकील शायी
 का निवेदन स्वीकार कर यह वाद पत्र
 नोट सेशन के अज्ञात पर इसी स्तर
 पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
 नम्बर से कम होकर दायित्व दफ्तार
 हो।

(अभिभाष)
 ठपखण्ड अधिकारी
 घड़साना

~~At~~
 gauri Sood
 Ram
 J. Sood